# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 12/2021 **GCMS 2021/13**

**प्रार्थीया**

1. मनीषा कंवर पुत्री दौलतसिंह जाति राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

**बनाम**

**अप्रार्थी**

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी ।

**प्रार्थना–पत्र रेकर्ड में शद्वि दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :– प्राथीया स्वयं

## आदेश

दिनॉक :– 22-3-2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 4 रकबा 3.51 हैक्टर कुल रकबा 5.50 हैक्टर व ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 462/23 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 3.66 हैक्टर स्थित चली आ रही है, उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम मंगलपुरा के खसरा नम्बर 10, 4 में प्रार्थीया की 1/48 हिस्सा व ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 23, 462/23 में 1/96 हिस्सा की भूमि खातेदारी दर्ज चली आ रही है, प्रार्थीया का नाम मरूधर कंवर दर्ज चला आ रहा है जो गलत है वास्तविक नाम मनीषा कंवर है जिसके लिए आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज मे मनीषा कंवर ही अंकित है, प्रार्थीया का नाम उपरोक्त खसरान की भूमि में मरूधर कंवर के स्थान पर मनीषा कंवर दर्ज कर नाम शुद्वि किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीया की ओर से ग्राम मंगलपुरा एवं करकेड़ी की जमाबंदी की नकल, पेन कार्ड सं. GKOPK5524H की नकल, भामाशाह कार्ड VSCRTZV की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जारी अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा 2010 दिनॉक 25 Th June,2010 की प्रति, आधार कार्ड संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

547798608700 की छाया प्रति, राशन कार्ड संख्या 008379500231 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

प्रकरण में प्रार्थीया को सुना गया, प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए शुद्व नाम किये जाने का कथन किया है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किय गया जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम मंगलपुरा पटवार मण्डल चारणवार के खाता संख्या 63 खसरा नम्बर 10, 4 कुल रकबा 5.50 हैक्टर में अन्य खातेदारान के साथ प्रार्थीया का नाम मरूधर कंवर पुत्री दौलतसिंह हिस्सा 1/48 जाति राजपूत सा. देह खातेदार अंकित है, ग्राम करकेड़ी पटवार मण्डल परेवड़ी के खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 23, 462/23 कुल रकबा 3.66 हैक्टर में अन्य खातेदारान के साथ मरूधर कंवर पुत्री दौलतसिंह हिस्सा 1/96 जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है, पेन कार्ड सं. GKUPK5524H मे प्रार्थीया का नाम मनीषा कंवर पुत्री दौलतसिंह दर्ज है, भामाशाह कार्ड VSCRTZV में प्रार्थीया का नाम मनीषा कंवर पुत्री दौलतसिंह दर्ज है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जारी अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा 2010 दिनॉक 25 Th June,2010 में मनीष कंवर पिता का नाम दौलतसिंह माता का नाम पुष्पाकंवर अंकित है,, आधार कार्ड संख्या 547798608700 में मनीषा कंवर पुत्री दौलतसिंह दर्ज है, राशन कार्ड संख्या 008379500231में मनीषा कंवर माता का नाम पुषपा कंवर व पिता का नाम दौलत सिंह दर्ज है।

इस प्रकार प्रार्थी का नाम उसके पिता की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार नामान्तरकरण दर्ज करते समय अशुद्व प्रविष्टि दर्ज हुई है जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है, अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है
एवं प्रार्थी के अशुद्व नाम मरूधर कंवर पुत्री दौलतसिंह के स्थान पर मनीषा कंवर पुत्री दौलतसिंह शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है।

## आदेश

ग्राम मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 4 रकबा 3.51 हैक्टर कुल रकबा 5.50 हैक्टर व ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 462/23 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 3.66 हैक्टर में प्रार्थीया मरूधर कंवर पुत्री दौलतसिंह के स्थान पर मनीषा कंवर पुत्री दौलतसिंह शुद्व प्रविष्टि राजस्व रेकाड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम शुद्व किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:36 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनॉक 24/3/2021 को सरेइजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (ना...)